पावरग्रिड
POWERGRID

शेयरधारकों के लिए नोटिस

विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में हस्तांतरण।

यह सूचना, समय–समय पर यथा संशोधित, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ('नियम') के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

नियमों में अन्य मामलों के मध्य, ऐसे सभी शेयरों का जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या अधिक समय के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया है, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम में हस्तांतरण करने के लिए प्रावधान किया गया है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने अब तक ऐसे सभी शेयरों को, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 (अन्तरिम) अथवा इससे पहले के लगातार सात वर्षों या अधिक की अवधि के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया था, संबंधित नियत तिथियों को, आईईपीएफ प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी ने अब दिनांक 09.08.2024 के अपने पत्र द्वारा संबंधित शेयरधारकों को जिनके शेयर नवम्बर, 2024 में आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने की संभावना है, उचित कार्रवाई किए जाने तथा आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किए जाने से पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में व्यक्तिशः सूचित कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 17.10.2024 को या इससे पहले अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए उक्त पत्र में यथा वर्णित अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को अग्रेषित कर दें। ऐसे शेयरधारकों की सूची, जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किये जाने हैं, कंपनी की वेबसाइट https://www.powergrid.in/en/details-shareholders पर प्रदर्शित की गई है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 17.10.2024 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं की अनुपालना करते हुए उक्त नियमों की अपेक्षा के अनुरूप आगे बगैर कोई सूचना के अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ खाते में हस्तांतरण कर देगी। कृपया ध्यान दें कि इस तरह हस्तांतरण होने पर, शेयरधारक हस्तांतरित शेयरों और लाभांश का दावा आईईपीएफ से www.iepf.gov.in पर उपलब्ध नियमों के अनुरूप कर सकते हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (1) के अनुसरण में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुरोधों को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी के पास डीमेटीरियलाइज्ड स्वरूप में नहीं हैं। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक धारिता को डीमेटीरियलाइज कर लें। उन शेयरधारकों को जिनके फोलियो में उनके पैन और बैंक खाते के पूर्ण विवरण नहीं हैं, अथवा पूर्व में उपलब्ध कराए गए बैंक खाता विवरणों में कोई परिवर्तन है, तो उन्हें उन विवरणों को अनिवार्य रूप से आरटीए/कंपनी के पास पंजीकरण/अद्यतन करने के लिए प्रेषित करना होगा। इस मामले में किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को investors@powergrid.in पर लिख सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लि. यूनिट: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500032 से संपर्क करें।

कृते पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
सत्यप्रकाश दाश
कंपनी सचिव

दिनांक : 13.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कॉर्पोरेट कार्यालय: सौदामिनी, प्लॉट नंबर–2, सेक्टर–29, गुड़गांव, हरियाणा–122001
पंजीकृत कार्यालय: बी–9, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
वेबसाइट: www.powergrid.in, ईमेल आईडी: investors@powergrid.in, सीआईएन: L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसयू

30.06.2024 को समाप्त तिमाही के

विवरण
प्रचालनों से कुल आय
अन्य आय
कुल आय
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)
कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)
कर के बाद अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है.
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी
आरक्षित (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर, यथा पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई)
प्रति शेयर आय (असाधारण मद के बाद) (प्रत्येक का मूल्य 10/- रुपए) (जारी और बंद प्रचालनों के लिए) -
बेसिक और डाइल्यूटिड:

 # चालू और बंद प्रचालनों का निवल लाभ शामिल है।
टिप्पणी:
1) उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 20
किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय प
वेबसाइट (www.bseindia.com) और (www.nseindia.com)
उपलब्ध है।
2) कंपनी के वित्तीय परिणाम यथा-संशोधित, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक)
2013 की धारा 133 के अधीन यथा-निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों (

तारीख : 13.08.2024
स्थान : नई दिल्ली
सबसे